

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता , बुण्डू (राँची)
RM वाद संख्या-44 / 12-13
छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 B

02/12/12

आदेश

विक्रेता का नाम एवं पता - चिन्ता देवी पति-स्व० ठाकुर स्वाँसी
 ग्राम-टांगर टोली ,पोस्ट-बुण्डू ,थाना-बुण्डू
 जिला-राँची।

क्रेता का नाम एवं पता- दिलीप स्वाँसी पिता-स्व० छुटू स्वाँसी
 ग्राम-टांगर टोली ,पोस्ट-बुण्डू ,थाना-बुण्डू
 जिला-राँची।

विद्वान अधिवक्ता का नाम- श्री आनन्द राम महतो।

विक्रेता ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक-28/07/12 को क्रेता दिलीप स्वाँसी पिता-स्व० छुटू स्वाँसी के हाथों निम्नलिखित भूमि की बिक्री की अनुमति माँगी है।

भूमि का विवरण

मौजा	थाना	थाना नं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
बुण्डू	बुण्डू	28	360	752	0.04 1/2 ए०
				753	0.01 1/2 ए०
कुल-					0.06 ए०

उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी , बुण्डू से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही साथ सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम इस्तेहार भी निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी , बुण्डू के पत्रांक-517(II) दिनांक-27/11/12 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। (अभिलेख के साथ संलग्न) जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि :-

- (क) प्रस्तावित जमीन के खतियानी रैयत का नाम गोपी मोहन स्वाँसी है।
- (ख) उपरोक्त भूमि के विक्रय के उपरांत आवेदक के पास 0.07 एकड़ भूमि शेष बच जाती है।
- (ग) आवेदक को गृह निर्माण के लिए पैसों की आवश्यकता है इसलिए भूमि की बिक्री करना चाहते हैं।
- (घ) दोनों क्रेता एवं विक्रेता अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। एवं एक ही थाना क्षेत्र बुण्डू के निवासी हैं।

उपरोक्त प्रतिवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, बुण्डू ने छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 B के तहत विक्रेता चिन्ता देवी पति-स्व० ठाकुर स्वाँसी ग्राम-टांगर टोली, पोस्ट-बुण्डू, थाना-बुण्डू जिला-राँची को क्रेता दिलीप स्वाँसी पिता-स्व० छुटू स्वाँसी ग्राम-टांगर टोली, पोस्ट-बुण्डू, थाना-बुण्डू जिला-राँची के हाथों प्रस्तावित भूमि के विक्रय करने की अनुमति देने की अनुशंसा की है।

न्यायालय के द्वारा दिनांक-09/08/12 को निर्गत आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। आज तक किसी भी व्यक्ति ने कोई आपति दायर नहीं की है।


पुनः दिनांक-30/11/12 को विक्रेता एवं क्रेता का बयान न्यायालय में दर्ज किया गया। दिए गए बयान से स्पष्ट है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री विक्रेता के द्वारा मकान बनाने के लिए किया जाना है।

अतः अंचल अधिकारी, बुण्डू की अनुशंसा एवं विक्रेता के बयान के आलोक में निम्नलिखित भूमि को विक्रेता चिन्ता देवी पति-स्व० ठाकुर स्वाँसी ग्राम-टांगर टोली, पोस्ट-बुण्डू, थाना-बुण्डू जिला-राँची को क्रेता दिलीप स्वाँसी पिता-स्व० छुटू स्वाँसी ग्राम-टांगर टोली, पोस्ट-बुण्डू, थाना-बुण्डू जिला-राँची के हाथों बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 B के तहत दी जाती है। आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम पर नहीं करेंगे।


भूमि का वितरण

मौजा	थाना	थाना नं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
बुण्डू	बुण्डू	28	360	752	0.04 1/2 ए०
				753	0.01 1/2 ए०
					कुल- 0.06 ए०

लेखापति एवं संश्लेषित



भूमि सुधार उप समाहर्ता,
बुण्डू राँची।



भूमि सुधार उप समाहर्ता,
बुण्डू राँची।